



प्रेस नोट थाना निगोही

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 01.04.2025

“थाना निगोही पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही”

थाना निगोही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम से संबंधित तीन अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ, व एक अदद मिश कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ, 01 अदद कुल्हाड़ी, 02 अदद छुरी, 01 पैकेट पालीथीन, 01 कार सैन्ट्रो, 01 अदद मोबाइल ओपो कम्पनी, 02 अदद रस्सी किया बरामदा।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में प्रतिबन्धित पशुओं की तस्करी व अवैध शस्त्र व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.03.2025 को थाना निगोही क्षेत्र अंतर्गत धुल्लिया मोड कठिना नदी के बीच कच्चे रास्ते पर एक खेत के सामने गोवंश के कुछ अवशेष 02 सिर व एक खाल मय पूँछ के व कुछ आँत के टुकड़े पड़े हुये प्राप्त हुये थे। जिस पर वादी मुकदमा उ0नि0 श्री मोहित कुमार की फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उच्चाधिकारीगणों द्वारा मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अभियुक्तों का पता कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 01/04/2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की घटना में संलिप्त तीन अभियुक्तगण 1.नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब 2.सलमान पुत्र छोटे भाई निवासीगण ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 3. अफजाल पुत्र मासूम निवासी ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को घटनास्थल कठिना नदी के पास वृहद ग्राम ऊनकला से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मौके से दो अभियुक्तगण 1.अनस पुत्र आशिफ व 2.नईम पुत्र आविद निवासीगण ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर व अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी। जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त 1.नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर के बाये पैर के घुटने में नीचे के साइड एक गोली लगी तथा 2. अभियुक्त सलमान पुत्र छोटे भाई निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर के दाहिने पैर के घुटने में नीचे के साइड गोली लगी है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने ही दिनांक 28/03/2025 को यही पास में एक खेत के सामने हमने अपने अन्य साथी 1.अनस पुत्र आशिफ व 2.नईम पुत्र आविद निवासीगण ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 3. रिजवान उर्फ पैदा पुत्र वहार अहमद नि0 ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर के साथ मिलकर 02 गौवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस को हमने फुरखान पुत्र शरीफ निवासी कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को बेच दिया है एक व्यक्ति मौके से नईम से थैले में मांस लेकर चला गया था। जिसे नईम ही जानता है। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब 2.सलमान पुत्र छोटे भाई 3.रिजवान उर्फ पैदा पुत्र बहार अली नि0गण ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

4.अनस पुत्र आशिफ 5.नईम पुत्र आविद 6.अफजाल पुत्र मासूम निगण ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 7.फुरखान पुत्र शरीफ नि0 कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत व 8.एक व्यक्ति अज्ञात का नाम प्रकाश मे आया है तथा मुकदमा उपरोक्त में जुर्म धारा 11 पशु क्रूरता व 5(क) गोवध निवारण अधि0 की वृद्धि की गयी । पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0157/2025 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस, (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्मस एक्ट बनाम 1.नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब 2.सलमान पुत्र छोटे भाई निवासीगण ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 3.अनस पुत्र आशिफ 4.नईम पुत्र आविद 5.अफजाल पुत्र मासूम निगण ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत किया गया । घायल अभियुक्तों 1.नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब 2.सलमान पुत्र छोटे भाई निवासीगण ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है । बाद उपचार गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों 1.नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब 2.सलमान पुत्र छोटे भाई निवासीगण ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 3. अफजाल पुत्र मासूम निवासी ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमाण्ड स्वीकृत कराकर जेल भेजा जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
2. सलमान पुत्र छोटे भाई निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर
3. अफजाल पुत्र मासूम निवासी ग्राम तालगाँव थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास:

अभियुक्त नसीम उर्फ चिरागी पुत्र हबीब

1. मु0अ0सं0 252/2018 धारा 5A/8 गौवध निवारण अधिनियम
2. मु0अ0सं0 608/2022 धारा 380/411 भादवि
3. मु0अ0सं0 624/2018 धारा 307 भादवि 3/5A/8 गौवध निवारण अधिनियम

अभियुक्त सलमान पुत्र छोटे भाई

1. मु0अ0सं0 1325/15 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
2. मु0अ0सं0 485/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
3. मु0अ0सं0 358/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
4. मु0अ0सं0 229/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
5. मु0अ0सं0 163/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
6. मु0अ0सं0 57/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
7. मु0अ0सं0 55/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
8. मु0अ0सं0 475/16 धारा 363/366 भादवि

अभियुक्त अफजाल पुत्र मासूम

1. मु0अ0सं0 153/25 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम

पूछताछ का विवरण:-

तीनो अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर एक स्वर मे बताया कि दिनांक 28.03.2025 को हम तीनों लोगो ने व भागे हुये साथी अनस पुत्र आशिफ व नईम पुत्र आविद नि0गण ग्राम धुल्लिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर व रिजवान उर्फ पैदा पुत्र वहार अहमद नि0 ग्राम तालगाँव थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर ने मिलकर ग्राम धुल्लिया मोड से ऊनकला की तरफ कच्ची रास्ते के जंगल मे बम्बा के किनारे 02 गोवंशीय पशुओं का वध करके उसके मास को प्लास्टिक की कट्टो मे पैक किया था । तथा कुछ मास को लेने हेतु नईम ने किसी व्यक्ति को बुलाया था जो कुछ समय बाद आकर मौके से थैले मे मास लेकर चला गया था । उस व्यक्ति

को हम लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद कट्टो में पैक मास को नसीम की इसी सैन्ट्रो कार में लदवाया था जिसको नसीम बेचने के लिये बीसलपुर ले गया था। नसीम मास बेचकर वापस आया था। हम सभी को नसीम द्वारा 02-02 हजार रुपया दिये गये थे जो हम लोगों ने ईद में खर्च कर लिये हैं। अभियुक्त नसीम द्वारा भी उक्त बातों की पुष्टि करते हुये बताया कि मैंने अपनी पकड़ी गयी इसी सैन्ट्रो कार से ही दिनांक 28.03.2025 को पैक गोवंशीय मास को बेचने हेतु बीसलपुर जनपद पीलीभीत गया था। बीसलपुर में गौ मास मेरे द्वारा फुरखान पुत्र शरीफ नि० कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत व उनके परिवारीजनों को बेच दिया था। तथा हमारे गाँव के कुछ लोग खटीमा उत्तराखण्ड में रहते हैं जिनको भी हम गौ मास बेच आते हैं।

बरामदगी का विवरण:

02 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,

01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ,

एक अदद मिश कारतूस 315 बोर नाल में फसा हुआ,

01 अदद कुल्हाड़ी,

02 अदद छुरी,

01 पैकेट पालीथीन ,

01 कार सैन्ट्रो,

01 अदद मोबाइल ओपो कम्पनी,

02 अदद रस्सी,

01 जोड़ी चप्पल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रयांक जैन
2. प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह
3. उ०नि० रामायण सिंह
4. उ०नि० वेदपाल सिंह
5. उ०नि० लोकेश कुमार
6. उ०नि० मोहित कुमार
7. का० 2760 कर्मवीर
8. का० 2831 राजकुमार
9. का० 2029 राहुल कुमार
10. का० 2762 मोहित कुमार
11. का० 1735 ज्ञानेन्द्र सिंह
12. का० 2324 मोहित भाटी